सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अध्याय–2 की
धारा–4 (1) ख (8)

मैनुअल संख्या–8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।

इस मैनुअल को तैयार करने में यद्यपि यथोचित सावधानियॉ बरती गयी है, तथापि इसके प्रकाशन में यदि कोई त्रुटि/सुझाव रह गये हो तो कृपया अवस्थापना भवन, 583–ठ, राजकीय आई0टी0आई0 निरंजनपुर के सामने, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून– 248001 को डाक द्वारा या टैलीफैक्स नम्बर 0135-2522941 या ई–मेल bridcul@gmail.com पर सूचित करें ।

मैनुअल–8

निदेशक मण्डल

ब्रिडकुल (पूर्व में उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0) के कम्पनीज एक्ट–1956 (न0 1 आफ 1956) के अन्तर्गत BRIDCUL (Formerly Uttarakhand State Infrastructure Development Corporation Ltd. का दिनांक 25 मार्च, 2008 को पंजीयन के माध्यम से गठन हो जाने के फलस्वरूप निगम के लिए प्रथम निदेशकों, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के नामांकन विषयक पूर्व में निर्गत आदेशों के अनुक्रम में निगम के निदेशक मण्डल का गठन निम्नवत् किये जाने की श्री राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गईः–

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
2.	अपर मुख्य सचिव एवं अवस्थापना विकास आयुक्त उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
3.	प्रमुख सचिव/ सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
8.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम	निदेशक पूर्णकालिक
9.	अपर सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	निदेशक (अंशकालिक)
10.	मुख्य अभियंता स्तर–1 एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड	निदेशक (अंशकालिक)

निदेशक मण्डल व अंशधारियों की बैठकेः–

निदेशक मण्डल व अंशधारियों की बैठकों की प्रक्रिया व उनके कार्यवृत्त सम्बन्धी प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुसार प्रवृत्त होती हैं। निदेशक मण्डल की बैठकें पूर्णतया सार्वजनिक रूप से खुली नहीं होती तथा उनमें केवल निदेशक मण्डल के सदस्य ही भाग लेते हैं। कार्यवृत्त का अवलोकन किया जा सकता है।

अंशधारियों की बैठक में केवल अंशधारी व निदेशकगण भाग ले सकते हैं तथा कार्यवृत्त सदस्यों की मांग पर उनको उपलब्ध कराया जा सकता है।